कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ (राज.)

Phone no. 07432-294065
E-mail: dlsa21jhalawar@gmail.com

क्रमांक : 6740 दिनांक : 16/8/24

खुली निविदा सूचना

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक एफ–16()RSLSA /J.S./ LADCS/2024/8818 दिनांक 29.07.2024 के निर्देशानुसार इस कार्यालय के अधीन कार्यरत Legal Aid Defence Counsel (LADCS) कार्यालयों हेतु सहयोगी मानव संसाधन को दिनांक 31. 03.2025 तक के लिए प्लेसमेन्ट ऐजेन्सी कार्य आधारित (जॉब बेसिस) प्रणाली के माध्यम से संविदा पर लिया जाना हैं। इस हेतु सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए इच्छुक पंजीकृत, व इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाने वाले अनुभवी श्रम आपूर्ति कर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की शर्ते एवं अन्य जानकारी जिला न्यायालय की वेबसाईट https://jhalawar.dcourts.gov.in व sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थायी)	कार्मिको की संख्या	अधिकतम पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति प्रति माह, समस्त कर सहित)	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये)	बोली प्रपत्र शूल्क राशि (रूपये)	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
01	ऑफिस असिस्टेन्ट	03	14,000/रू	13,000/	200/	23.08.2024 (11:00 AM)	23.08.2024 (12:00 PM)
02	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	14,000/रू				
03	ऑफिस पिओन	03	11,000/रू				
	कुल अनुमानित लागत	07	6,50,000/रू				

सचिव 16-8-2024
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
झालावाड़

क्रमांक 6741–6748 दिनांक 16/08/2024

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर
2. श्रीमान् अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़
3. सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग झालावाड़ को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर dipr की दरों मे न्यूनतम साईज में नियमानुसार प्रकाशन करवाने का श्रम करें।
4. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय झालावाड़ को विभागीय वेबसाईट एवं sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/जिला एवं सेशन न्यायालय/जिला कलेक्टर कार्यालय।
6. रक्षित पत्रावली

सचिव 16-08-2024
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश)
झालावाड़

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ (राज.)

Phone no. 07432-294065
E-mail: dlsa21jhalawar@gmail.com

खुली बोली प्रपत्र 1
(तकनीकी बोली)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व मोबाईल नम्बर..
....
2. निविदा शुल्क रूपये 200/– नकद/डी.डी. संख्या ....दिनांक ....के द्वारा निविदा प्रपत्र शुल्क कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ में जमा करवा दी गई है जो की Non Refundable हैं।
3. बोली प्रतिभुति/धरोहर राशि रूपये 13000/– का डी.डी. संख्या .... दिनांक ....के द्वारा प्रतिभुति राशि शुल्क कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ में जमा करवा दी गई है।
4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी।

S.No	Particulars	Reg.No and Year	Date of Reg.	Annexure No.
1	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियत एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970			
2	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952			
3	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948			
4	वस्तु एवं सेवाकार (GST)			
5	आयकर नम्बर (PAN Number)			
6	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियिम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत			

नोट – नियमानुसार जो भी लागु हो, उसमें सम्पुर्ण सूचनायें अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायगा।

1. मै/हम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ द्वारा जारी की गई खुली निविदा सुचना में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न बोली दस्तावेज में दी गई उक्त बोली सुचना को सभी सामान्य/विशिष्ठ/अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
2. मै/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक अपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी उपबन्धों के सभी उपबन्धों, समय–समय पर किये जाने वाले संशोधन सहित से यथावत बाध्य होना भी स्वीकार करते है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

16-8-24

Sandy
ADO-II

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़ (राज.)

Phone no. 07432-294065
E-mail: dlsa21jhalawar@gmail.com

खुली बोली प्रपत्र 2
(वित्तीय बोली)

वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु कार्मिको की सेवाओं के उपापन के लिए वित्तीय बोली/प्राईस बिड़ में हमारी दरे निम्नानुसार हैं–

क्र. सं.	पद का नाम	कार्मिक को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी			सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर (सभी कर सहित)
		कार्मिक श्रेणी	कार्मिक की संख्या	सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI सहित अधिकत राशि(प्रति माह प्रति व्यक्ति) रूपये	
01	02	03	04	05	06
01	ऑफिस असिस्टेन्ट	उच्च कुशल	03	14,000/रू	
02	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	उच्च कुशल	01	14,000/रू	
03	ऑफिस पिओन	अकुशल	03	11,000/रू	

1. उपर्युक्त तालिका में कॉलम संख्या 06 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियाँ अंकित की जायेगी।
2. किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि कॉलम संख्या 05 से अधिक नही होगी तथा इसमें सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI शामिल होगें।
3. कॉलम संख्या 06 मे दरें शून्य/ऋणात्मक में स्वीकार नही की जायेगी तथा राशि पूर्ण रूप से अंकित की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मुहर

16-08-24

Sandy
AAO-II

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़

General Trems & Conditions of Bid & Contract

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 200/रूपये एवं प्रतिभुति राशि 13000/रूपये जरिये डी.डी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से जमा कराई जायेगी
2. राजस्थान लोक उपापन में पादर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, प्रपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक/निविदादाता का होगा।
4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन)अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/निविदादाता ही उक्त प्रकार की निविदा में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
5. संवेदक/निविदादाता द्वारा नियोजित कार्मिक/श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातो में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक/निविदादाता द्वारा नियोजित कार्मिक/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिक/श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत् संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भगुतान किया जायेगा।
6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिक/श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/निविदादाता का होगा।
7. कार्मिक/श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर संवेदक/निविदादाता को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान केवल वित्तीय बोली प्रपत्र के कॉलम संख्या 05 में अंकित राशि की सीमा (सभी कर सहित) तक ही किया जा सकेगा।
8. संवेदक/निविदादाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त कार्मिक/श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिक/श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/निविदादाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/निविदादाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे कार्मिक/श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक/निविदादाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
9. संवेदक/निविदादाता द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवदेक का नाम संविदा अवधि, कार्य की प्रगति कार्मिक/श्रमिकों हेतु Helpling नम्बर एवं संवेदक/निविदादाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
10. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिक/श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी. एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा।
11. सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की ही होगी। संवेदक/निविदादाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी, वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त

Sandeep

16-08-2024

स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा। परन्तु यह समस्त राशि निविदा में अंकित अधिकतम देय राशि से अधिक नही होंगे तथा इसी अधिकतम देय राशि में सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्ज ई.पी.एफ और ई.एस.आई भी शामिल होंगे।

12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/निविदादाता का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति के उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक/निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यदि संवेदक/निविदादाता एवं कार्य पर लगाये गये कार्मिक/श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/निविदादाता की होगी। इसके लिये कोषाधिकारी झालावाड़, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
14. नियोजित कार्मिक/श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित कार्मिक/श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवाअजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा।
15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा करने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/निविदादाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
16. यदि संवेदक/निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो इसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/ निविदादाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।
17. यदि इस कार्यालय द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनज़र किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत कराता है, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को दिया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक/निविदादाता का होगा।
18. जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिको की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गांरटी नहीं दी जायेगी एंव उपाप्त संख्या में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में निविदादाता किसी भी दावे या प्रतिकर का आधार नहीं होगा। जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिको की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक/निविदादाता द्वारा निविदा की शर्त, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर जॉब बेसिस कार्मिक उपलब्ध करवाना होगा।
19. निविदा में सफल निविदा दाताओं/संवेदकों से, दर संविदाओं के अन्तिम मूल्यांकन में उनकी स्थिति कार्मिक स्थिति के क्रम में अति महत्पूर्ण प्रकृति/अपेक्षित संख्या में जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम निविदादाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है। सफल बोलीदाता/संवेदक द्वारा अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना न्यूनतम निविदादाता की क्षमता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

16-08-2024

Sandeep
AAO-II

20. अनुबंधित निविदादाता/संवेदक द्वारा संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जोयगी।
21. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
22. प्राप्त निविदाओं में निविदा दाताओं द्वारा समान दरें प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता चयन का अंतिम निर्णय समिति का होगा।
23. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या भाड़े (Sub-Let) पर नहीं देगा।
24. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी। वह कार्यादेश जारी होने के 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायगा, उपलब्ध कराये गये कार्मिक का Computer Test & Speed Test (Other then office peon) लिया जायगा तथा टेस्ट में सफल होने वाले कार्मिक ही कार्य करने के लिये अनुमत होगें।
25. बोलियो का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।
26. बोली प्रतिभुति का समपहरण (Forfeiture of Bid security) सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभुति राशि निम्न A से E तक की शर्ते पुरी नही करने पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के नाम पर डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप मे जमा कराई जायेगी। बोली प्रतिभूति का निम्न मामलो मे समपहरण किया जा सकेगा।
    A. जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तू बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता हैं या उसमे रूपान्तरण करता है।
    B. जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नही करता हैं।
    C. जब बोलीदाता बोली स्वीकृती के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही कराता है
    D. जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिक सप्लाई प्रारम्भ नही करता हैं।
    E. यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमो के अध्याय 06 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालो के लिए विहित सत्य निष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।
27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति –
    A. बोली आमन्त्रण मे अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 07 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 05 प्रतिशत राशि (पूर्व मे जमा धरोहर राशि 02 प्रतिशत को समायोजित करने के उपरान्त शेष रही 03 प्रतिशत राशि) कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप मे डिमाण्ड ड्राफ्ट, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झालावाड़ के नाम पर जमा करानी होगी।
    B. सफल निविदा दाता द्वारा अपने स्वयं के खर्चे पर 500/रूपये के नॉन ज्यूडिशल स्टाप पेपर पर करार पत्र निष्पादन करना होगा।
    C. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भूगतान नही किया जायेगा।
28. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work performance security deposit) – कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा–
    A. जब संविदा की शर्तो का उल्लघंन किया गया हो।
    B. जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने मे असफल रहा हो।

16-08-2024

Sandeep
AAO-II

C. जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने मे असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

29. भुगतान – सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप मे बिल 03 प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जायेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिए अनुबंधित निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
30. निविदा की दर दिनांक 31.03.2025 के तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।
31. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
32. जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिको की संख्या बढाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।
33. निविदा निर्धारित समय व दिनांक पर खोली जायेगी यदि निविदा खोलने की दिनांक को अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्यदिवस मे खोली जायेगी।
34. इस कार्यालय द्वारा विद्यमान दर संविदाएं उसी कीमत निबंधनों और शर्तों पर तीन मास तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी, यदि दर संविदा के अधीन जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिको उपाप्त किये जाने या उसके घटकों की बाजार कीमते इस कालावधि के दौरान गिर न गयी हो।
35. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जाऐगी वह 07 दिवस में जॉब बेसिस पर लिए जाने वाले कार्मिक उपलब्ध करवायेगा।।
36. मूल्यांकन की कसौटी– सिमित निविदा में सफल/क्वालिफाइड निविदादाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा।
37. पद हेतु योग्यता –

क.सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थायी)	पद हेतु योग्ता
01	ऑफिस असिस्टेन्ट	1. Educational Qualification: Graduation 2. Basic word processing skills and the ability to operate computer and skills to feed data 3. Good Typing speed with proper setting of petition 4. Ability to take dictation and prepare files for presentation in the Courts, 5. File maintenance and processing knowledge. 6. RSCIT Diploma or Equivalent Diploma
02	रिसेप्शनिस्ट कम डेटा एन्ट्री ऑपरेटर	1. Educational Qualification: Graduation 2. Excellent verbal and written communication skills 3. Word and data processing abilities 4. The ability to work telecommunication systems 5. Proficiency with good typing speed. 6. RSCIT Diploma or Equivalent Diploma
03	ऑफिस पिओन	1. Educational Qualification: 08^{th} Pass

38. परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टार के मूल्यो के लिए की जायेगी जिनका निविदादाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है।

A. विहित सुपुर्दगी की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये – 2.50 प्रतिशत

Sandey
AAO-II

16-08-2024

B. एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अधिक के लिए – 5.00 प्रतिशत
C. आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए – 7.50 प्रतिशत
D. विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए – 10.00 प्रतिशत
E. विलम्ब की अवधि में आधा दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा
F. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।
G. यदि निविदा दाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिये समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए आवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न की सेवा सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
H. यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिधारित क्षति सहित या रहित की जायेगी।

39. सभी निविदायें कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। **निर्धारित समय एवं दिनांक 23.08.2024.को प्रातः 11:00 बजे के बाद** प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
40. निविदा के निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्पर्क किया जा सकता है।
41. निविदा की शर्त एवं एनेक्जर A to D के प्रत्येक पेज पर निविदा दाता के हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगें।

16-8-2024

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
झालावाड़

Sandey
AAO-II

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any correction including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

a. Have controlling partners/shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purpose of the Bid; or
d. Have the relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access have to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decision of the procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specification of the Goods, Works or Service that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

16-08-2024

Sandeep
AAO-II

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No............................Dated ....I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Biding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the State Government or any local authority as specification in the Bidding Document;
3. I/We have are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administrated by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conducted or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5. I/We do not have a conflict of interest as specification in the Act, Rules and the bidding Document, which material affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:

Sandy
AAO-II

16-8-2024

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and the address of the first Appellate Authority is ....
The designation and the address of the first Appellate Authority is ....

(1) Filing an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the act or the rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Providing that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filled only by a Bidder who has participated in procurement proceeding:

Providing further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filled only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidder Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement;
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) Cancellation of a procurement process;
(e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for Filling Appeal

(a) Fee for first appeal shall be two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Sandey
AAO-II

16-18-2-14

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issued notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date of fix hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Sandey
AAO-II

16-08-2024

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

   Provided that a Financial Bid is substantially responsive, that Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

   i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quality, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion in the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

   ii. If there is a error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

   iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error,in which case in the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

   If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accepted the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Deceleration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to very Quantities.**

   (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit price or other terms & conditions of the Bid and the conditions of contract.

   (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

   (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fail to do so, the Procurement Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among one than more Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

   As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured fro the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject

   matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Sandy
AAO-II

16-08-2.24